# ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान
# कॉलेज शिक्षकों / कॉलेज लाइब्रेरियन / कुलपतियों / आयोग के सदस्यों
# और
# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के
# अधिकारियों के लिए
# यात्रा अनुदान योजना
# के दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

# विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

# ग्यारहवीं योजना के दिशानिर्देश

## कालेज शिक्षकों/कालेज लाइब्रेरियन/कुलपतियों/आयोग के सदस्यों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के लिए यात्रा अनुदान योजना

### 1. प्रस्तावना

यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त कालेजों के स्थायी शिक्षकों और लाइब्रेरीयनों तथा मानद विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विदेशी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध–पत्र प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इसके अतिरिक्त यह सुविधा राष्ट्रीय महत्व के सस्थानों के स्थायी शिक्षकों के लिए भी उपलब्ध है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा एक वर्ष में कुल अनुमोदित मामलों का 10 प्रतिशत है। आयोग के सदस्यों और यू.जी.सी. के ई.ओ./यू.एस. तथा इससे उपर स्तर के अधिकारी भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं ।

### 2. उद्देश्य

कॉलेज के स्थायी शिक्षकों/कालेज के लाइब्रेरियनों/कुलपतियों/आयोग के सदस्यों/यू.जी.सी. के ई.ओ./यू.एस. तथा इससे उपर स्तर के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपना–अपना शोध–पत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। इसके लिए कालेज के शिक्षकों/कालेज लाइब्रेरियनों/यूजीसी अधिकारियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा उनकी सेवा–निवृत्ति की उम्र होगी तथा कुलपतियों और आयोग के सदस्यों को इस सेवा में होना चाहिए ।

### 3. इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की प्रकृति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत अनुभाग 2(एफ) तथा 12(बी) द्वारा जो कालेज मान्य हैं, ऐसे कॉलेजों में जो स्थायी पदों पर अध्यापक एवं कॉलेज लायब्रेरियन काम कर रहे हैं उन्हें तीन वर्षों में एक बार शत् प्रतिशत आधार पर ऐसे स्वीकार्य व्यय के लिए प्रदान किया जायेगा, जो व्यय, यात्रा, रजिस्ट्रेशन शुल्क, दैनिक भत्ता और वीजा शुल्क पर हुआ है। उपरोक्त अनुभागों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर क्रीमी लेयर) समुदाय के शिक्षकों को दो वर्षों में एक बार शत्–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

### 4. सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन विहित आवेदन–प्रपत्र में भरकर सभी आवश्यक अनुलग्नकों की एक प्रति, सम्मेलन के आयोजकों की स्वीकृति पत्र और सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र के पूरे मसौदे

के साथ संयुक्त सचिव (यात्रा अनुदान), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110 002 को सम्मेलन शुरू होने के दो महीने पहले भेजा जाना चाहिए । अधूरे आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा । प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का स्वतः यह तात्पर्य नहीं होगा कि इसे यूजीसी का अनुमोदन प्राप्त है । यदि पत्र का प्रस्तोता इसका लेखक स्वयं हैं, तो लेखक(कों) की ओर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन–प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाए । यदि एक ही पत्र के लिए दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में केवल एक ही आवेदन–पत्र पर विचार किया जाएगा और पहले लेखक को प्राथमिकता दी जाएगी । इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले यूजीसी अधिकारियों को सम्मेलन में अपना पत्र भेजने से पहले अध्यक्ष की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नही हैं । हालांकि पत्र एक पर स्वीकृत हो जाने पर वे सम्मेलन में अपनी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकता है।

## 5. दावे को प्रस्तुत किया जाना

अनुदान के निर्गमन में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को सम्मेलन समाप्ति के एक महीने के अंदर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः–

(एक) यात्रा, एयरपोर्ट कर, पंजीयन शुल्क, वीज़ा शुल्क जैसे विभिन्न मदों पर हुए व्यय और दैनिक भत्ते को दर्शाने वाला विवरण
(दो) दौरे पर हुए कुल व्यय के संबंध में कालेज/विश्वविद्यालय अंकेक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत किया गया उपयोग प्रमाणपत्र ।
(तीन) सम्मेलन के आयोजकों या इसी तरह के कोई भारतीय/विदेशी एजेंसी से प्राप्त सहायता या उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण ।
(चार) कालेज/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार और अन्य स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि
(पांच) यूजीसी द्वारा निबंधन शर्तों के अनुसार प्रत्येक मद के लिए देय राशि
(छह) सम्मेलन में सहभागिता के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पण
(सात) सम्मेलन में सहभागिता प्रमाणपत्र
(आठ) यूएस डॉलर का भारतीय मुद्रा में परिवर्तन दर (किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से)

## 6. यात्रा भत्ता का दावा

भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को किसी भी एयरलाइन के सबसे सस्ते हवाई टिकट (किसी भी स्थिति में एयर इंडिया के किराये से अनधिक) द्वारा एक्सकर्शन श्रेणी में यात्रा करना चाहिए । कॉलेज मुख्यालय से नजदीकी हवाई अड्डे तक आने–जाने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के रेल किराये से अनधिक वास्तविक किराया अनुमेय होगा । कुलपति, आयोग के सदस्य और यूजीसी अधिकारियों के मामलें में यह उनकी पात्रता के अनुसार होगा ।

## 7. दैनिक भत्ता

दैनिक भत्ते का भुगतान भारत सरकार की दर से किया जाएगा । दैनिक भत्ते का भुगतान सम्मेलन की अवधि के अतिरिक्त चार और दिनों अर्थात सम्मेलन शुरू होने के पहले के दो दिन और सम्मेलन समाप्त होने के बाद दो दिन के लिए किया जाएगा ।

## 8. प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रक्रिया

प्राप्त हुए हर तरह से विधिवत रूप से पूर्ण प्रस्ताव (वों) का मूल्यांकन विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा । उनकी सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय यूजीसी द्वारा लिया जाएगा कुलपति, आयोग के सदस्यों और यूजीसी अधिकारियों के प्रस्ताव सीधे यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। अनुमोदन के उपरांत अनुमोदन–पत्र सदस्य को भेजा जाता है।

## 9. अनुदान निर्गमन की प्रक्रिया

सम्मेलन समाप्त होने के बाद आवेदक द्वारा उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद सदस्य की देय पूरी राशि एक किस्त में संवितरित की जाती है।

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

## बहादुर शाह जफर मार्ग

## नई दिल्ली – 110 002

**''यात्रा अनुदान'' योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कालेज शिक्षकों/कालेज लाइब्रेरियन, कुलपति, आयोग के सदस्य और यूजीसी अधिकारियों के लिए आवेदन ।**

(क) आवेदकों का विवरण :

1. नाम
2. जन्म तिथि (उम्र)
   (कालेज के शिक्षकों/कालेज के लाइब्रेरियन की अधिकतम आयु सीमा सम्मेलन में भाग लेने की तारीख को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक है)
   (कुलपतियों, आयोग के सदस्यों और यूजीसी अधिकारियों को सम्मेलन आयोजन की तिथि को सेवाधीन होना चाहिए)
3. लिंग (पुरूष/महिला)
4. श्रेणी : एससी/एसटी/ओबीसी (क्रीमी लेयर को छोड़कर)/सामान्य
5. पदनाम/मूल वेतन/नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी/अस्थायी)
6. पिन कोड सहित कार्यालय का पताः

   टेलिफोन :......................(का).........................(आ0)
   मोबाइल :
   ईमेल :
7. मुख्य विषय और विशेषज्ञता का क्षेत्र
8. विशिष्ट क्षेत्र में प्रकाशित पुस्तकों/पत्रिकाओं/लेखों की सूची (अलग से पृष्ठ लगाएं)
9. क्या किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर निकाय के सदस्य हैं :
10. यदि हां, तो निकाय(यों) का नाम बताएंः
11. उस कालेज का नाम जहां कार्यरत हैं और उस विश्वविद्यालय का नाम जिससे वह संबद्ध हैः

12 आपके कालेज में सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयुः

13. सेवानिवृत्ति की आयुः

**(ख) सम्मेलन का विवरण**

14. उस सम्मेलन का नाम/विषय वस्तु जिसमें भाग लिया जाना हैं:

15. पूरा पता सहित आयोजकों का नामः

16. उस देश और शहर का नाम जहां सम्मेलन का आयोजन होगाः

17. सम्मेलन की अवधि (दिनांक, महीना और वर्ष):

18. सम्मेलन/संगोष्ठी में आवेदक की भूमिकाः
(क) क्या किसी सत्र की अध्यक्षता करेंगे (यदि हां, तो कागजी साक्ष्य संलग्न करें)
(ख) क्या उद्घाटन व्याख्यान दे रहें हैं/आमंत्रित वक्ता है (भाषण/वार्ता के पूरे पाठ की एक प्रतिलिपि सहित कागजी साक्ष्य संलग्न करें)
(ग) कोई पत्र प्रस्तुत करना हैं (कृपया पूरे पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

19. क्या प्रस्तुतीकरण के लिए पत्र स्वीकार कर लिए गए हैं?(कृपया कागजी साक्ष्य और सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले पूरे पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें):

20. प्रस्तुतीकरण का माध्यम बताएं मौखिक/पोस्ट या दोनों के माध्यम से) (कृपया कागजी दस्तावेज संलग्न करें)

21. कृपया यह बताएं कि क्या उक्त पत्र को किसी दूसरे के साथ मिलकर लिखा गया है? यदि हां, तो उनका नाम और पता लिखेंः–

22. क्या दूसरे लेखक(कों) का अनापत्ति प्रमाण–पत्र(त्रों) को संलग्न किया गया हैं? (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

23. कार्यस्थल से सम्मेलन स्थल के लिए प्रस्थान करने की प्रस्तावित तिथि और समय से लेकर वापसी तक की यात्रा की पूरी योजना बताएंः

24. क्या सम्मेलन के प्राधिकारी पत्र को स्वीकार करने से पूर्व समीक्षा के लिए भेजतें हैं?

25. पंजीयन शुल्क के रूप में आयोजको भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हैं? (पंजीकरण प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

(क) आयोग से अपेक्षित सहायताः

(ख) नजदीकी हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए भारत में की गई यात्राः

(ग) हवाई जहाज का किराया (आने और जाने दोनों का)

(घ) पंजीकरण शुल्कः

(ड.) अपेक्षित दैनिक भत्ता (दिनों की संख्या और दर कुल (रूपयें में):

26. क्या आवेदक ने आयोजकों/किसी अन्य एजेंसी से संपर्क किया है? (कुलपतियों/आयोग के सदस्यों और यूजीसी अधिकारियों के मामले में लागू नहीं है)

(क) क्या पंजीकरण शुल्क माफ है?

(ख) क्या हवाई यात्रा के लिए सहायता हैं?

(ग) क्या अनुरक्षण भत्ता प्राप्त है?

(घ) क्या ठहरने और भोजन के लिए सहायता है?

(ड.) कोई अन्य सहायता (विनिर्दिष्ट करें)

27. यदि उपर्युक्त में से किसी भी मद के लिए जवाब 'हां' है, तो अद्यतन स्थिति और उपलब्ध कराई जानेवाली राशि बताएं । (कागजी साक्ष्य संलग्न करें)

28. क्या आवेदक ने इस सम्मेलन के विगत दो/तीन वर्ष पहले किसी सेमिनार/सम्मेलन और संगोष्ठी में भाग लेने के लिए यूजीसी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त किया हैं?

(क) यदि 'हां' तो निम्नलिखित सारणी में विवरण दीजिएः

| उस सम्मेलन का नाम जिसमें भाग लिया गया | सम्मेलन का स्थान और दिनांक | प्राप्त वित्तीय सहायता (रूपये में) | दिनांक सहित यूजीसी का स्वीकृति पत्र संख्या |
|---|---|---|---|
| | | | |

29. सम्मेलन की समाप्ति के बाद संस्थान में कार्यभार ग्रहण करने की प्रस्तावित तिथिः

30. कोई और विवरण जिसे आवेदक अपने मामले के पक्ष में देना चाहता हैः

मैं प्रमाणित करता हूं कि

(क) उपर्युक्त विवरण ठीक है ।

(ख) यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बाद की किसी तिथि को गलत पायी जाती है, तो मैं समस्त राशि आयोग को लौटा दूंगा ।

(ग) प्राप्त राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह मांगी गई है ।

(घ) आयोजकों या किसी अन्य एजेंसी से वित्तीय सहायता प्राप्त होने की स्थिति में आयोग द्वारा स्वीकृत राशि लौटा दूंगा ।

(ङ.) मैं आयोग के निर्णय का अनुपालन करूंगा ।

स्थानः
दिनांकः

**(आवेदक का हस्ताक्षर)**
**पदनाम**

## संस्थान के प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूं किः

(एक) आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है ।

(दो) आवेदक ने विगत दो/तीन वर्षों में इस सुविधा का लाभ नहीं लिया है।

(तीन) कॉलेज को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यूजीसी अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत पात्र घोषित किया गया है ।

(चार) आवेदक ने सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न किए हैं ।

(पांच) आवेदन–प्रपत्र में दी गई जानकारी सही है।

(छह) मामलें के अनुमोदन के बाद भी यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) के अंतर्गत संस्थान के पात्र नहीं पाए जाने की स्थिति में यह स्वीकृति स्वतः रद्द हो जाएगी ।

(सात) एससी/एसटी/ओबीसी(क्रीमी लेयर को छोड़कर) श्रेणी के शिक्षकों के मामले में, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे अनु0जाति/अ.ज.जाति/अ.पि.वर्ग.(क्रीमी लेयर को छोड़कर) समुदाय के है।

**हस्ताक्षरः**

**नामः**

**पदनामः**

**पताः**

**कार्यालय का मुहरः**

**दिनांकः**